03/भू०अ०नि०(4)वशिषसर्वे-02/2022-(खण्ड-1)

I/84275/2023 **e-Mail**

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय

पटना, दिनांक :–

विषय :– बेगूसराय शिविर– 02 में अवस्थित मौजा– भैरवार– 527 में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य हेतु मार्गदर्शन देने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 2021/बन्दो0 बेगू0 दिनांक 03.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग के संबंध में आपके द्वारा वर्ष 1911 में लागू पट्टे के आधार पर, वर्ष 1987 एवं 2023 में निर्गत रसीद के आधार पर गैरमजरूआ मालिक भूमि के स्वामित्व का वैधानिक आधार से संबंधित मार्गदर्शन की मांग की गयी है।

उक्त परिपेक्ष्य में स्पष्ट करना है कि आपके द्वारा प्रेषित पत्र में जिन कागजातो को संदर्भित किये गये है, अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भू–सम्पदा (Estate) के तौजी विभाजन संबंधी प्रमाण प्रभारी उप–समाहर्त्ता, The Road Cess and Tauzi Department द्वारा निर्गत है तथा अंचल कार्यालय द्वारा जारी लगान रसीद वर्ष 1987–88 तथा 2023–24 संलग्न हैं, तद्‌ालोक मार्गदर्शन निम्नवत् है :–

(i) यदि भूतपूर्व मध्यवर्ती का उल्लेखित तौजी बटँवारा वर्ष 1910 के अनुसार बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 3 ख (3) के अर्न्तगत अपने नाम का रिर्टन दाखिल किया गया है और उनके नाम से संबंधित खाता संख्या खेसरा संख्या की भूमि का जमाबन्दी सृजित किया और सृजित जमाबंदी के आधार पर जमींदारी उन्मूलन पश्चात् लगातार लगान वसूली की जा रही है, तो जमाबन्दी वैध ा माना जायेगा।

(ii) यदि भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा 01 जनवरी 1946 के पूर्व भूमि को किसी रैयत को बन्दोबस्त, पट्टे या हस्तान्तरण किया गया है, और बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा–3 ख (3) के अर्न्तगत रिर्टन दाखिल किया गया और उनके नाम से जमाबन्दी सृजित की गई और सृजित जमाबंदी के आधार पर जमींदारी उन्मूलन पश्चात् लगातार लगान वसूली की जा रही है, तो वैध माना जायेगा।

तद्‌नुसार सापेक्षिक कार्रवाई करना सुनिशिचित किया जाए।

विश्वासभाजन

Signed by Jai Singh
Date: 20-10-2023 09:51:33

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि :

1. समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज/बंदोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय/लखीसराय/जहानाबाद/अररिया/सीतामढ़ी/सुपौल/प0चम्पारण/शिवहर/बांका/शेखपुरा, बन्दोबस्त पदाधिकारी – सह– अपर समाहर्त्ता, सहरसा/कटिहार/पूर्णियाँ/मुंगेर/नालंदा/खगड़िया/अरवल/मधेपुरा/जमुई।
2. श्रीमति सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं बेवपोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

private:stream